

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर
पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 370 सन 2018

अनवान :-

1. धर्मपाल पुत्र शंकरलाल जाति ब्रह्मण निवासी देवासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. शंकरलाल पुत्र रामचन्द्र जाति ब्रह्मण निवासी देवासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. हेमराज पुत्र शंकरलाल जाति ब्रह्मण निवासी देवासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. सुमन 4 सरोज 5 जैसा पुत्रीया शंकरलाल जाति ब्रह्मण निवासी देवासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :- 26.12.2018

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा देवासर के खाता संख्या 219/208 के खसरा न0 52 की 6.500हैक , खसरा न0 266 की 7.9870हैक , खसरा न0 406 की 4.300हैक खसरा न0 567/2 की 11.9000हैक खसरा न0 617/267 की 1.770हैक कुल 32.4370हैक जिसके रामचन्द्र पुत्र किशनाराम के नाम से दर्ज है जिनके देहान्त होन पर उसके चार पुत्रो करनाराम हीराराम शंकरलाल रामचन्द्र पर औद हुई जिनके द्वारा खाता विभाजन करवाने पर प्रतिवादी संख्या 1के हिस्से में रोही मौजा देवासर के खाता संख्या 219/208 के ख0न0 52/2 की 1.518हैक खसरा न0 166/1 की 3.920हैक खसरा न0 617/267 /1 की 0.443हैक खसरा न0 567/4 की 3.03हैक कुल 8.916हैक भूमि हिस्सा में आई है।

वाद भूमि पूर्व में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के दादा एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा किशनाराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से उनके पुत्रों पर औद हुई और वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 को रोही मौजा देवासर के खाता संख्या 219/208 के ख0न0 52/2 की 1.518हैक खसरा न0 166/1 की 3.920हैक खसरा न0 617/267 /1 की 0.443हैक खसरा न0 567/4 की 3.03हैक कुल 8.916हैक भूमि हिस्सा में आई है।

वाद भूमि विरास्तन से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति हे जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का बराबर का हक हिस्सा है तथा वादी की बहने प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपने भाईयों वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं


प्रतिवादी संख्या 1, 2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1, ता 5 को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 स्वयं न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा एवं उसके पिता के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पत्ति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, ता 5 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 ने यह भी निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जो शामिल मिसल है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि पूर्व में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के दादा एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के पिता के नाम से दर्ज हुई है अर्थात् प्रतिवादी संख्या 1 के नाम विरास्तन से भूमि दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पत्ति है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार पैतृक सम्पत्ति में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का बराबर का हक हिस्सा होता है जिसकी वादी धोषणा करवा पाने का अधिकारी है तथा वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 जो वादी की बहने है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के पक्ष में किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में उनके विभाजन के अनुसार दर्ज किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है इसप्रकार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, ता 5 की आपसी सहमति के आधार पर वाद वादी काबिल डिक्री है। किन्तु प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 ने अपने हकों का त्याग करने के कारण राज्यहकों को सुरक्षित रखने हेतु स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी उचित है।

अतः वाद वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 की सहमति के आधार पर काबिल डिक्री होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि वादी व प्रतिवादी संख्या 2 के पास रोही मौजा देवासर के खाता संख्या 219/206 के खसरा न0 266/1 की 3.920हैक्, खसरा न0 617/267/1 की 0.443हैक् भूमि रहेगी, प्रतिवादी संख्या 1 के पास रोही मौजा देवासर के खाता संख्या 219/206 के खसरा न0 52/2 की 1.518हैक्, खसरा न0 567/4 की 3.035हैक् भूमि रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराया आदेश के सलग्न 5000/-अखरे रूपये पाच हजार रूपये का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहन मुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)